कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्याः-प-18/एफएस-2016 दिनांकःनवम्बर 29,2016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
सुलतानपुर।

बिषयः- भूखण्ड संख्याः46 ग्राम-गोदलपुर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंपुर सुलतानपुर के निर्मित मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर लखनऊ के रिटेल आउटलेट/पेट्रोल, डीजल टैंक का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

....

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-801/एल0बी0सी0 दिनांकः 24-10-2016 के माध्यम से उक्त रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एंव डीजल टैंक का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एंव डीजल टैंक के मानचित्रों एंव अभिलेखों का परीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुलतानपुर द्वारा किया गया। आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:-

<u>ढार्चोगत संरचनाओं के सम्बन्ध में:-</u>

1- प्रस्तावित स्थल कादीपुर-सुलतानपुर रोड पर स्थित है, जहॉ पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2- प्रस्तावित स्थल अभी पूर्णरूप से खाली है।

3- स्थल के ऊपर से विद्युत की हाई टेन्शन लाइन नहीं है।

4- मानचित्र में दो भूमिगत टैंक 22,000 एंव 16,000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा एक टैक 16000 लीटर पेट्रोल हेतु प्रस्तावित है।

5- प्रवेश एंव निकास के लिये 12 मीटर खुला स्थान छोडा गया है, तथा 16 मीटर का बफर स्ट्रेक प्रस्तावित है।

6- वाहनों में डीजल/पेट्रोल भरने के लिये 06 डिस्पेन्सर मशीन लगायी जायेगी।

<u>प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-</u>

पेट्रोलियम एक्ट-1934 व इसकी नियमावली-2002 संसोधित-2005 तथा विस्फोटक अधिनियम व नियमावली के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते है:-

1- आई0एस0आई0 मार्क 12 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर 09 किग्रा0 क्षमता प्रति डिस्पेंसर 02 की दर से व 02 अदद् ए0एफ0एफ0एफ0 फायर एक्सटिंग्यूसर 09 लीटर क्षमता व सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 क्षमता का लगाया जाय।

2- 10 अदद् फायर बकेट (क्षमता 09 लीटर प्रत्येक) लगायी जाय।

3- सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ लगायी जाय।

4- वेन्ट पाइप के ऊपर डवलवेस वायर की जाली लगायी जाय तथा न्यूनतम् 04 मीटर का क्लियर स्पेश रखा जाय।

5- 10000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाय, जो अग्निशमन कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा।

6- आई0एस0-2148 के अनुसार बिजली की वायरिंग की जाय। जिस पर ओवर लोडिंग न रहे।

7- पूरा क्षेत्र ''धूम्रपान निषेध'' रखा जाय।

8- फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर 101, 240279 एंव 9454418737 की पट्टिका अधिष्ठापित कराया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 लखनऊ के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एंव डीजल टैंक के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ़ॅ इण्डिया -2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एंव डीजल टैंक के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एंव डीजल टैंक निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सुलतानपुर।